

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक:

क्रमांक ई 1-03/2022/एक-2:: राज्य शासन एतद्वारा श्री भुवनेश यादव, भा.प्र.से. (2006), सचिव, उच्च शिक्षा विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, सचिव, समाज कल्याण विभाग एवं आयुक्त, निःशक्तजन को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

2/ श्री हिमशिखर गुप्ता, भा.प्र.से. (2007), विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार), वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार), सहकारिता विभाग एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार), वाणिज्यिक कर (आबकारी एवं पंजीयन को छोड़कर) विभाग एवं विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार), योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार), सहकारिता विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार), वाणिज्यिक कर (आबकारी एवं पंजीयन को छोड़कर) विभाग एवं विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार), योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

3/ श्री जनक प्रसाद पाठक, भा.प्र.से. (2007), विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार विशेष सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ के पद पर पदस्थ करते हुए संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

4/ श्री सत्यनारायण राठौर, भा.प्र.से. (2008), पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं तथा अतिरिक्त प्रभार प्रबंध संचालक, वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण को केवल संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए संचालक, स्थानीय निधि एवं संपरीक्षा का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है। शेष यथावत रहेगा।

5/ श्री अनुराग पाण्डेय, भा.प्र.से. (2009), संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा तथा अतिरिक्त प्रभार विशेष सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए विशेष सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

.....02

KPF

6/ श्री गौरव कुमार सिंह, भा.प्र.से. (2013), संयुक्त सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ प्रभारी अधिकारी, राज्य ग्रामीण औद्योगिक पार्क (RIPA) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डॉ. कमलप्रति सिंह)
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग
नवा रायपुर, दिनांक:

पृ.क्र.: ई 1-03 / 2022 / एक-2

प्रतिलिपि:-

1. संस्थापन अधिकारी, भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, (कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
2. अनुसंधान अधिकारी (कैरियर मैनेजमेंट), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कमरा नं. 215, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
3. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
4. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर
5. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन, रायपुर,
6. सचिव/विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार), छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग/राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग/जल संसाधन विभाग/खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/वित्त विभाग/उच्च शिक्षा विभाग/महिला एवं बाल विकास विभाग/वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग/वाणिज्यिक कर (आबकारी एवं पंजीयन को छोड़कर) विभाग/योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग/सहकारिता विभाग/ समाज कल्याण तथा आयुक्त निःशक्तजन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
8. प्रमुख आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली,
9. संभागायुक्त, रायपुर/बिलासपुर/सरगुजा/बस्तर/दुर्ग, छत्तीसगढ़,
10. मुख्य सचिव के अवर सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
11. अवर सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़,
12. अवर सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (स्था./अधी.), मंत्रालय, नवा रायपुर
13. संबंधित अधिकारीगण/व्यक्तिगत नस्ती/आर्डर बुक,
14. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
15. कोषालय अधिकारी, इंद्रावती नवा रायपुर अटल नगर
16. संचालक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रायपुर की ओर अगले राजपत्र में प्रकाशनार्थ, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग